न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प सागर (म.प्र.)

= =

राजस्व निगरानी क्रमांक- R 2701- II/13 सन- 2013

श्रीमती ममता अग्रवाल बेवा अतीत नारायण अग्रवाल
निवासी राठ तहसील राठ जिला हमीरपुर (उ.प्र.)
हाल निवासी मारूफगंज अदरक घाट पटना सिटी , पटना (बिहार) - ------- आवेदिका

बनाम

1. नीलेश कुमार अग्रवाल तनय श्री तुलसीदास अग्रवाल
निवासी राठ तहसील राठ जिला हमीरपुर (उ.प्र.)
2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार राजेश शुक्ला छतरपुर
3. तुलसीदास अग्रवाल तनय श्री कामता प्रसाद अग्रवाल
निवासी राठ तह0 राठ जिला हमीरपुर (उ.प्र.) ---- अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक- 10.5.2013 जो योग्य अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक-131/अपील/अ-6-अ/08-09 में पारित किया।

श्रीमान ,

आवेदिका सादर निम्नलिखित निवेदन प्रस्तुत करती है :-

1. यह कि आवेदिका का संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि आवेदिका के स्वर्गीय पति श्री अतीत नारायण अग्रवाल एवं अनावेदक क्रमांक-1 नीलेशकुमार अग्रवाल दोनो ही सगे भाई है तथा अनावेदक क्रमांक-3 तुलसीदास के पुत्रगण है।

2. यह कि ग्राम बगौता तहसील व जिला छतरपुर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक" 1358/1/क, 1374, 1376, 1379/1, 1383, 1384/1/1 स्व. अतीत नारायण एवं नीलेश कुमार के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी जो नगर - छतरपुर के विकास हो जाने के कारण तथा उक्त भूमियां नगर छतरपुर से लगी होने के कारण भूमियो की कीमत बढ़ गई इसी कारण अनावेदक क्रं.-1 तथा 3 द्वारा स्व. अतीत नारायण के हक व हिस्से की भूमि हड़प करने के उद्देश्य ... द्वारा धारा-178 म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959

-2-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

जिला छतरपुर

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2701-दो/2013

ममता विरूद्ध नीलेश

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
07-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक ।3। /अपील/अ-6-अ/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 10-05-2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छरतपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के.जैन) 07/3/19 सदस्य	